ग्राम पंचायत बालकरूपी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बालकरूपी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बालकरूपी में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुनील चौधरी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विकास राणा	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बालकरूपी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना ।	0.73
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना।	27.69
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना।	0.12
4	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.52
5	9	औपारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना ।	1.11
6	10	अनुदान राशि से अधिक व्यय ।	0.14

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बालकरूपी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा व श्री राहुल सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.09.2023 से 30.09.2023 व 26.10.2023 से 30.10.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	03/2022	07/2021
2022–23	09/2022	05/2022

अस्वीकरण:– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत

सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत बालकरूपी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 488 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत बालकरूपी, विकास खण्ड लम्बागाँव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत बालकरूपी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	761738	67563	8520	837821	103719	734102
2022–23	734102	27837	351595	1113534	57169	1056365

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत बालकरूपी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	3906091.00	4263494.00	119272.00	8288857.00	4470959.70	3817897.30
2022–23	3817897.30	3875760.80	85268.00	7778926.10	5010243.80	2768682.30

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, 15th FC, SDP,MPLAD

A/c No. 2646000100014400	PNB Balakrupi	791968.9
A/c No. 2646000100169043	PNB Balakrupi	728149.9
A/C No. 50052810717	KCCB Balakrupi	32387
A/C No. 20019005045	KCCB Balakrupi	36497
A/C No. 50100349354493	HDFC Sujanpur	2138336
A/C No. 2646000100169052	PNB Balakrupi	6754.53
A/C No. 2646000100169061	PNB Balakrupi	2435.3
A/C No. 2646000100163094	PNB Balakrupi	160752
cash in hand		595
	Total	**₹3897875.63**
Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		1056365
Cash Book Balance on 31.03.2022		44089
Cash Book Balance on 31.03.2022		600507
Cash Book Balance on 31.03.2022		2138336
Cash Book Balance on 31.03.2022		-14250
Cash Book Balance on 31.03.2022		0
	Total	**₹3825047**
	diffrence	**-72828.6**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.73 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹72,829/– पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 477 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निदेर्शों के अनुसार नहीं गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 480 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः उक्त नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4 में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु

निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में **₹**761738 से **₹**10,56,365/– तक की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 482 दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या: जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की जाँच करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6. अनुदान ₹27.69 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹2768682/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण

सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹60/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹11,590/– (सम्पति कर ₹990/–, विवाह पंजीकरण शुल्क ₹600/–व मोबाईल टॉवर शुल्क 2021–22 ₹10000/–) वसूली हेतु शेष थाः–

1. सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	0	41040	41040	41010	30
2022–23	30	42600	42630	41640	990

(वर्ष 2021–22 में कुल परिवार 684 दर ₹60/– व वर्ष 2022–23 में कुल ₹710 परिवार दर ₹60/– प्रतिवर्ष)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 479 दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा जो बकाया राशि है, वह शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

ANNUAL REPORT

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹600/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 व 2022–23 में निम्न विवरणानुसाार ₹600/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली गई राशि (₹)	कम वसूल की गई
1	3	पंकज कुमार पुत्र श्री राज कुमार	27.04.21	12.05.21	200	0	200
2	15	संदीप कुमार पुत्र श्री शक्ति चन्द	16.09.21	01.10.21	200	0	200
3	4	रोहित डोगरा पुत्र श्री किशोर डोगरा	22.02.23	21.03.23	200	0	200
							600

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 478 दिनांक 31.10.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली कर ली जायेगी तथा आगामी अंकेक्षण में दर्शा दी जायेगी ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

7.3 मोबाईल टॉवर शुल्क के रूप में ₹0.10 लाख की वसूली न करने बारे :–

प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21.06.2017 अनुसार ग्राम पंचायत को स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

अंकेक्षण में पाया कि पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश मोबाईल टॉवर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी ।

अतः नियमों के अनुसार उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये जल्द ही सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण करने उपरान्त दिनांक 31.03.2022 तक बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये। पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–3** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को मोबाईल टॉवर शुल्क की बकाया वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

वर्ष	अथशेष	मोबाईल टावर की माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2021–22	0	10000	10000	0	10000

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.52 लाख की राशि की रॉयल्टी की कटौती न करना:–

ANNUAL REPORT

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार **₹** 51,642 / – का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 481

दिनांक 31.10.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.23 द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी नहीं ली जा रही है। अतः भविष्य में ले ली जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹51,642/– के अनियमित भुगतान को या तो पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	**मद नाम**	**मात्रा (cft)**	**मात्रा (cum)**	**निर्धारित फैक्टर**	**मात्रा मिट्रिक टन**	**रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)**	**राशि**
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** के अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	1535	43.47	1.62	70.42	60	4225.00
	बजरी	1820	51.54	1.52	78.34	60	4700.00
	बोल्डर	3355	95.01	2.24	212.82	60	12769.00
						कुल :	**21694.00**
प्रस्तुत परिशिष्ट–2 के अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	1672	47.35	1.62	76.70	80	6136.00
	बजरी	2295	64.99	1.52	98.78	80	7902.00
	बोल्डर	1100	31.15	2.24	69.77	80	5582.00
						कुल :	**19620.00**
		कुल योग वर्ष 2021–22 व 2022–23					41314.00
						पैनल्टी 25 %	10328.00
						कुल योग:	**51642.00**

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

9 **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.11 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,11,016/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था तथा समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 483 दिनांक 31.10.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
18, 20.04.21	बिल नं0 1186 दि0 25.3.21 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	सैनिटरी फिटिंग	19030.00	नि0 शौचालय व बाथरूम पंचायत घर 14th FC

19, 20.04.21	बिल नं0 1620 दि0 25.3.21 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	सैनिटरी फिटिंग	19687.00	नि0 शौचालय व बाथरूम पंचायत घर 14th FC
20, 20.04.21	बिल नं0 1617 दि0 25.3.21 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	टाईलें	40379.00	नि0 शौचालय व बाथरूम पंचायत घर 14th FC
22, 20.04.21	बिल नं0 1615 दि0 2.4.21 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	सरिया	15425.00	नि0 शौचालय व बाथरूम पंचायत घर 14th FC
103, 25.07.22	बिल नं0 74 दि0 7.6.22 मै0 वीर सिंह आर्टस	पेंटिंग / लिखवाई	6055.00	विविध व्यय सभा निधि
126, 13.09.22	बिल नं0 63 दि0 31.08.22 मै0 जरूण्डी महादेव बैल्डिंग वर्क्स	चैम्बर	10440.00	नि0 पुली काकू राम के घर के पास 14th FC
			111016.00	

10 प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.14 लाख का अधिक व्यय करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2021–22 में SDP शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त राशि से ₹14,250/– अधिक राशि खर्च की गई थी, जोकि अनियमित है।

शीर्ष का नाम	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
SDP	0	60000	74250	14250

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 484 दिनांक 31.10.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक खर्च की गई राशि सभा निधि से खर्च की गई थी, जब इस मद की राशि स्वीकृत होगी तो सभा निधि में जमा कर दी जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए संपरीक्षकों को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 485 दिनांक 31.10.2023 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/02 दिनांक 02.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि मापन पुस्तिका, प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिये जायेंगे।

1	नि0 नया पंचायत घर 14th FC (2021-22)
2	नि0 रोड गॉब बालकरूपी 14th FC (2021-22)
3	नि0 रास्ता गुॅबर 14th FC (2021-22)
4	नि0 जीप योग्य रोड मेन रोड लाहडू से गॉव धर्मपुर VKVNY (2021-22)
5	नि0 पुली नाले के उपर परधान के घर के पा 14th FC
6	जीप योग्य सडक प्रताप चन्द घर से मेंन रोड तक VKVNY (2022-23)
7	नि0 महिला मण्डल भवन गॉव लंघा 14th FC (2022-23)
8	नि0 रास्ता सुरजीत सिंह के घर से प्रकाश चन्द के घर के पास 14th FC (22-23)
9	नि0 रास्ता अमीर सिंह के घर से प्रेम सिंह की ओर 14th FC (22-23)

अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये वाँछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

12 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार / विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (ट)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपित्त विवरणिका** :–इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15 **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

249 – 253

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)382/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बालकरूपी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट-1 (1)

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के सन्दर्भ में)

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Balakrupi" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Opening Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
3	5 SFC	-102181	248080	0	145899	222010	-76111
4	VKVNY	177092	2007500	17746	2202338	1274071	928267
5	14TH FC	3316383	0	72264	3388647	1923023	1465624
6	15TH FC	496159	984664	29262	1510085	17.7	1510067
10	SDP	0	60000	0	60000	74250	-14250
12	MPLAD	18638	0	0	18638	14338	4300
14	MNREGA	0	963250	0	963250	963250	0
	Total Rs.	3906091	4263494	119272	8288857	4470959.7	3817897

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Balakrupi" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Opening Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
3	5 SFC	-76111	291800	0	215689	171600	44089
4	VKVNY	928267	710000	16405	1654672	1054165	600507
5	14TH FC	1465624	0	16101	1481725	1481725	0
6	15TH FC	1510067.3	1513533	52762	3076362.3	938026	2138336
10	SDP	-14250	0	0	-14250	0	-14250
12	MPLAD	4300	48500	0	52800	52800	0
14	MNREGA	0	1311927.8	0	1311927.8	1311927.8	0
	Total Rs.	3817897.3	3875760.8	85268	7778926.1	5010243.8	2768682

Balance as per Bank on 31.03.23

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,MPLAD,

A/c No. 2646000100014400	PNB Balakrupi	791968.9
A/c No. 2646000100169043	PNB Balakrupi	728149.9
A/C No. 50052810717	KCCB Balakrupi	32387
A/C No. 20019005045	KCCB Balakrupi	36497
A/C No. 50100349354493	HDFC Sujanpur	2138336
A/C No. 2646000100169052	PNB Balakrupi	6754.53
A/C No. 2646000100169061	PNB Balakrupi	2435.3
A/C No. 2646000100163094	PNB Balakrupi	160752
cash in hand		595
	Total	**3897876**

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		1056365
Cash Book Balance on 31.03.2022		44089
Cash Book Balance on 31.03.2022		600507
Cash Book Balance on 31.03.2022		2138336
Cash Book Balance on 31.03.2022		-14250
Cash Book Balance on 31.03.2022		0
	Total	**3825047**
	diffrence	**-72828.65**

checked

PANCHAYAT SACHIV
Gram Panchayat Balakrupi
Teh. Jaisinghpur Distt. Kangra (H.P.)

Financial Position of Own sources in r/o GP Balakrupi

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	761738	67563	8520	837821	103719	734102
2022-23	734102	27837	351595	1113534	57169	1056365

Checked

Gram Panchayat Balakrupi
Teh. Jaisinghpur Distt. Kangra (H.P.)

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 के सन्दर्भ में)

Gram Panchyat Balakrupi Dev Block Lambagaon 2021-22

Sr.No	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No dated	Bill no& Date	Sand (CFT)	Bazri (CFT)	Boulder (CFT)	Amount
1	C/O PROTECTION WALL NEAR THE HOUSE OF RAJINDER KUMAR S/O NADU RAM W NO-7	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	256 & 23/03/2021	110	100	210	10670
2	C/O PROTECTION WALL IN THE LAND OF SITA RAM S/O SHAMBU RAM W NO-2	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	255 & 23/03/2021	110	100	210	10670
3	C/O DANGA ASHOK KUMAR	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	254 & 23/03/2021	110	100	210	10670
4	C/O PROTECTION WALL NEAR HOUSE VIDYA DEVI W/O SARAN DASS	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	253 & 06/07/2021	110	100	210	10670
5	C/O DANGA PAWAN KUMAR W NO-1	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	252 & 23/03/2021	135	145	280	9795
6	C/O OF DANGA VINOD KUMAR W NO-1	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	251 & 23/03/2021	160	150	310	10795
7	C/O OF DANGA SUBASH CHAND VILL DADU	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	250 & 23/03/2021	140	150	290	9580
8	C/O DANGA AJAY KUMAR W NO-1	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	6/7/2021	249 & 23/03/2021	160	200	360	11660
9	C/O TOILET BATHROOM NAJDEEK NEW PANCHAYAT GHAR	14 F.C	Chaudhary Brother,s	52 & 22/07/2021	290 & 25/03/2021	150	175	325	12425
10	C/O ROAD BALAKRUPI M	14 F.C	Chaudhary Brother,s	53 & 22/07/2021	289 & 25/03/2021	150	300	450	19350
11	COM. OF NEW PANCHAYAT GHAR ALONG WITH IN G.P BALAKRUPI	14 F.C	Chaudhary Brother,s	54 & 22/07/2021	291 & 25/03/2021	200	300	500	14300
						1535	1820	3355	

PANCHAYAT SACHIV
Gram Panchayat Balakrupi
Teh. Jaisinghpur Distt. Kangra (H.P.)

2022-23

Gram Panchyat Balakrupi Dev Block Lambagaon

Sr. No	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No dated	Bill no& Date	Sand (CFT)	Bazri (CFT)	Boulder (CFT)	Amount
1	C/O DANGA ASHOK KUMAR S/O LOHAR W NO-2	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	348 & 18/11/2021	150	180		11040
2	C/O DANGA VINOD KUMAR S/O HARI RAM W NO-4	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	349 & 02/02/2022	150	180		11040
3	C/O Main road se Junji ke ghar tak jeepable road	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	322 & 05/10/2021	425	535	250	50292.5
4	C/O MAIN RASTA VILL KAWAL KRISHAN HOUSE KI AUR	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	320 & 05/10/2021	200	700	200	38100
5	C/O TAILING RASTA SURJEET KI TOILET SE PARKASH CHAND K GHAR KI OR	14 F.C	M/S LAXMI NARAYAN ASSOCIATE	45 & 25/05/2022	217 & 07/04/2022	80			2850
6	C/O PAKKA ROAD PAWAN KUMAR WARD NO-1	14 F.C	M/S LAXMI NARAYAN ASSOCIATE	46 & 25/05/2022	227 & 07/04/2022	350	500	450	47150
7	C/O NEW MAHILA MANDAL BHAWAN IN VILLAGE LANGHA	V.K.V.N.Y	Chaudhary Brother,s	47 & 25/05/2022	353 & 25/03/2022	180	200	200	17740
8	C/O OF CONVERT FROM NALLAH NEAR PARKASH HOUSE	V.K.V.N.Y	Chaudhary Brother,s	48 & 25/05/2022	355 & 07/04/2022	137			5069
						1672	2295	1100	

PANCHAYAT SACHIV
Gram Panchayat Balakrupi
Teh. Jaisinghpur Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट - 3 पैरा-7.3 से सन्दर्भित

List of outstanding Property tax for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o GP Balakrupi Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-22	0	41040	41040	41010	30
2022-23	30	42600	42630	41640	990

No. of family = 710 Rate per annua 60

List of outstanding tower Fees for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o GP Balakrupi Distt.Kangra,H.P.

2021-22	0	10000	10000	0	10000
2022-23	0	0	0	0	0

PANCHAYAT SACHIV
Gram Panchayat Balakrupi
Teh. Jaisinghpur Distt. Kangra (H.P.)